# न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25 / 2022

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र पुत्र श्री मनफूल निवासी 8 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.
2 श्री जीतराम नायक अभि. अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —28.11.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.2022 को सुश्री संजना जोशी जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ हमराह विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ के साथ एल०पी०जी० गैस के अवैध भण्डारण, व्यापार एवं रिफिलिंग की रोकथाम एवं कार्यवाही हेतु कालीबंगा कैंची स्थित एक दुकान पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में महेन्द्र पुत्र मनफूल घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग करते हुए पाये गये। मौके पर स्वयं महेन्द्र की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी, 1 एल०पी०जी० गैस बिक्री का हिसाब लिखा रजिस्टर एवं 20 घरेलू गैस कनेक्शनों की कॉपियाँ रखी पाई गई। उक्त सामान के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर महेन्द्र पुत्र मनफूल द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर गैस रिफिलिंग का कार्य करना स्पष्ट होने पर उक्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी, 1 हिसाब लिखा रजिस्टर एवं 20 घरेलू गैस कनेक्शनों की कॉपियाँ वजह सबूत जब्त की गई। उक्त जब्त समस्त सामान जाकिर हुसैन कुरैशी, मैनेजर, पीलीबंगा गैस सर्विस, पीलीबंगा को सुपुर्द किया गया। चूँकि अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड़ 4(1)(क), 6 उपबंधों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

प्रार्थीगण राजेश कंवर आदि जरिये अभिभाषक सुपुर्दगी प्रार्थना—पत्र दिनांक 28.03.2023 पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 09.10.2025 को बहस के प्रक्रम में चल रही है। अभिभाषक सुपुर्दगी प्रा. पत्र द्वारा बहस हेतु बार—बार मौके चाहे गये। न्यायालय द्वारा बहस हेतु न्यायहित में बार—बार अवसर दिये गये। बावजूद इसके अभिभाषक सुपुर्दगी प्रा. पत्र बहस हेतु उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र के आदेश में ली गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना को दोहराते हुए कथन किये कि मुझ प्रार्थी द्वारा, जिला रसद अधिकारी को समस्त वस्तुस्थिति से अवगत करवाया कि उक्त सिलेण्डर किसी शादी समारोह के परिवार के सदस्य पीलीबंगा गैस एजेन्सी का वाहन सिलेण्डर लेकर आने वाला था। गांव के अन्दर वाहन जाने की सुविधा नही थी इसलिए मुझ प्रार्थी की दुकान

पर शादी समारोह के परिवार के सदस्य ने सिलेण्डर रख रखे थे, साथ ही शादी समारोह के परिवार का सदस्य था, उसके पास सभी सिलेण्डरो की मूल कॉपीयां (पासबुक) थी। मुझ प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी को सभी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया, आस पास के दुकानदारों के भी जिला रसद अधिकारी के समक्ष ब्यान लेखबद्ध करवाये। जिला रसद अधिकारी द्वारा अन्य दुकानदारो के बयान मूल पत्रावली में शामिल नहीं किए। मुझ प्रार्थी की दुकान मैन रोड, कालीबंगा कैंची पर होने के कारण शादी समारोह के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे, उन्हे अपनी सुविधा अनुसार मुझ प्रार्थी की दुकान पर सिलेण्डर रखे थे। इन सिलेण्डरो पर मुझ प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं था। जिला रसद अधिकारी ने जानबूझकर मिथ्या, गलत पत्रावली तैयार कर मुझ प्रार्थी को पार्टी बनाया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाकर व प्रार्थी की वर्तमान माली हालत को मध्यनजर रखते हुए श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही का निरतारण किये जाने की कृपा करें।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर दुकान से 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी, 1 हिसाब लिखा रजिस्टर के साथ जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का दुकान में व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 4(1)(क), 6 उपबंधों का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी, 1 हिसाब लिखा रजिस्टर के साथ जब्त किये गये है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 4(1)(क), 6 उपबंधों का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 छोटे सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, 1 बडी व 5 छोटी गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसूरी को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ जब्तशुदा 1 हिसाब लिखा रजिस्टर एवं 20 घरेलू गैस कनेक्शनों की कॉपियाँ भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

( उम्मेदीलाल मीना )
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़